कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश ईदगाह हिल्स भोपाल

क्रमांक– एक / स्था.1 / 14 / 2020 / भोपाल, दिनांक

/ / आदेश / /

श्री राजेश कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भिण्ड को प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भिण्ड से कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एव औषधि प्रशासन, जिला ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, महोदय द्वारा अनुमोदित

(अभिषेक दुबे)
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक–एक / स्था.1 / 14 / 2020 / 5099 भोपाल दिनांक 16/11/2020

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला भिण्ड / ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला भिण्ड / ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला – ग्वालियर / मुरैना की ओर सूचनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला भिण्ड / ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी अधिकारी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, म.प्र. ईदगाह हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
10. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, मु.– भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
11. श्री राजेश कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भिण्ड की सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. लेखा शाखा / स्टोर / स्थापना–1,2,3 मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश ईदगाह हिल्स भोपाल

क्रमांक– एक / स्था.1 / 30 / 2020 / 5100 भोपाल, दिनांक – 16/11/2020

//आदेश//

श्री कमलेश जमरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मंदसौर को प्रशासकीय आधार पर स्थानातरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला मंदसौर से कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला रतलाम में पदस्थ किया जाता है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, महोदय द्वारा अनुमोदित

(अभिषेक दुबे)
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक–एक / स्था.1 / 30 / 2020 / 5101 भोपाल, दिनांक 16/11/2020

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला मंदसौर / रतलाम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला मंदसौर / रतलाम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला – मंदसौर / रतलाम की ओर सूचनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला मंदसौर / रतलाम की ओर सूचनार्थ।
8. प्रभारी अधिकारी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, म.प्र. ईदगाह हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
10. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, मु.– भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट मे अपलोड हेतु।
11. श्री कमलेश जमरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मंदसौर की सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. लेखा शाखा / स्टोर / स्थापना–1,2,3 मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल

क्रमांक– एक / स्था.–1 / अनु.नि. / 02 / 2018 / भोपाल, दिनांक

॥ आदेश ॥

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी / 3–12 / 2013 / 1 / 3 दिनांक 29.09.2014 के परिपालन में स्वर्गीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, सहायक–ग्रेड–3, कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल, शासकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए दिनांक 30.05.2018 को मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पुत्री कुमारी आयुषी मिश्रा (अनारक्षित वर्ग) निवासी– S–10, शिखर आकाश काम्पलेक्स, कैलाश नगर, सी.टी.ओ. बैरागढ़, भोपाल, म0प्र0 की अनुकम्पा नियुक्ति (तृतीय श्रेणी में) प्रयोगशाला सहायक (खाद्य) के पद पर सातवें वेतनमान अनुसार मैट्रिक लेवल–4 में रू. 19500 / – न्यूनतम मूल वेतन तथा शासन द्वारा तत्समय देय मंहगाई भत्ते पर, 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल में अस्थाई रूप से उपस्थित होने के दिनांक से निम्न शर्तो के अधीन की जाती है।

म.प्र. शासन वित्त विभाग की राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रं0–एफ–8–1–2020, नियम 4 दिनांक 22.02.2020 अनुसार 3 वर्ष (तीन वर्ष) की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त कुमारी आयुषी मिश्रा को उक्त पद के सातवें वेतनमान अनुसार वित्त विभाग की मैट्रिक्स के लेवल–1 में रू. 19500 / – के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ शासन द्वारा अन्य भत्ते देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति की शर्ते :–

1. यह अनुकम्पा नियुक्ति नितांत अस्थाई है। उक्त नियुक्ति किसी भी समय किसी उभय पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस अथवा उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
2. संबंधित को कर्तव्य पर उपस्थित कराये जाने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
3. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
4. संबंधित को अंशदायी पेंशन योजना–2005 लागू होगी ।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाणपत्र / अन्य–प्रमाण–पत्र / शपथ–पत्रों के आधार पर आपको नियुक्ति दी जा रही है। भविष्य में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र / शपथ–पत्र सत्यापन के समय या अन्यथा फर्जी / त्रुटिपूर्ण पायें जाते है तो आपकी नियुक्ति निरस्त करते हुए आपके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
6. संबंधित कर्मचारी शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा।
7. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें ।

निरन्तर

Scanned with CamScanner

8. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।
9. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।
10. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन के ज्ञापन कमांक सी 3–42/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के अनुसार कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा म.प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक– सी–3–15/2014/1/3 दिनांक 26.02.2015 के निर्देशानुसार कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता हेतु सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासन निर्देशानुसार डिप्लोमा /पत्र एवं स्कोर कार्ड 03 वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात परिवीक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी, अन्यथा निर्धारित समयावधि में वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर आपकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। इस बावत् आपका कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
11. प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित

हस्ता/-
(अभिषेक दुबे)
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

पृ.कमांक– एक/स्था.–1/अनु.नि./02/2018/5103 भोपाल, दिनांक 16/11/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. कुमारी आयुषी मिश्रा निवासी– S–10 शिखर आकाश काम्पलेक्स, कैलाश नगर, सी.टी.ओ. बैरागढ़, भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी आई.टी. शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
7. लेखा शाखा/स्थापना शाखा–1/स्थापना शाखा–2(व्यक्तिगत नस्ती हेतु)/गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।

16.11.20

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश ईदगाह हिल्स भोपाल

क्रमांक– एक/स्था.–1/अनु.नि./01/2020/ भोपाल, दिनांक

॥ आदेश ॥

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3–12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के परिपालन में स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद बाथम, रसायनज्ञ, खाद्य प्रयोगशाला, कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल, शासकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए दिनांक 22.01.2020 को मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पुत्री श्रीमती मिनाक्षी बाथम (अन्य पिछड़ा वर्ग, श्रेणी) निवासी, वार्ड नं: 169, गली नं0 2, महामाई का बाग, भोपाल, म0प्र0 की अनुकम्पा नियुक्ति (तृतीय श्रेणी में) सहायक –ग्रेड–3 के पद पर सातवें वेतनमान अनुसार मैट्रिक लेवल–4 में रू. 19500/– न्यूनतम मूल वेतन तथा शासन द्वारा तत्समय देय मंहगाई भत्ते पर, 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल में अस्थाई रूप से उपस्थित होने के दिनांक से निम्न शर्तो के अधीन की जाती है।

म.प्र. शासन वित्त विभाग की राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रं0–एफ–8–1–2020, नियम 4 दिनांक 22.02.2020 अनुसार 3 वर्ष (तीन वर्ष) की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त श्रीमती मीनाक्षी बाथम को उक्त पद के सातवें वेतनमान अनुसार वित्त विभाग की मैट्रिक्स के लेवल–1 में रू. 19500/– के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ शासन द्वारा अन्य भत्ते देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति की शर्ते :–

1. यह अनुकम्पा नियुक्ति नितांत अस्थाई है। उक्त नियुक्ति किसी भी समय किसी उभय पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस अथवा उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
2. संबंधित को कर्तव्य पर उपस्थित कराये जाने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
3. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
4. संबंधित को अंशदायी पेंशन योजना–2005 लागू होगी ।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाणपत्र / अन्य–प्रमाण–पत्र /शपथ–पत्रों के आधार पर आपको नियुक्ति दी जा रही है। भविष्य में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र सत्यापन के समय या अन्यथा फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति निरस्त करते हुए आपके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
6. संबंधित कर्मचारी शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा।
7. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें ।

निरंतर

Scanned with CamScanner

8. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।

9. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

10. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन के ज्ञापन कमांक सी 3–42/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के अनुसार कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा म.प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक– सी–3–15/2014/1/3 दिनांक 26.02.2015 के निर्देशानुसार कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता हेतु सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासन निर्देशानुसार डिप्लोमा /पत्र एवं स्कोर कार्ड 03 वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात परिवीक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी, अन्यथा निर्धारित समयावधि में वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर आपकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। इस बावत् आपका कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

11. प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित

ह्स्ता/-

(अभिषेक दुबे)
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

पृ.कमांक– एक/स्था.–1/अनु.नि./01/2020/5107 भोपाल, दिनांक 16/11/202

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. श्रीमती मिनाक्षी बाथम पुत्री स्व. श्री जगदीश बाथम, निवासी, वार्ड नं: 169, गली नं0 2, महामाई का बाग, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, मुख्यालय भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
7. लेखा शाखा/स्थापना शाखा–1/स्थापना शाखा–2(व्यक्तिगत नस्ती हेतु)/गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।

16.11.2020

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल

क्रमांक– एक/स्था.–1/अनु.नि./02/2020/ भोपाल, दिनांक

॥ आदेश ॥

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3–12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के परिपालन में स्वर्गीय श्री दिलीप नरवारे, भृत्य, कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल शासकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए दिनांक 07.03.2020 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री आकाश दीप नरवारे (अनुसूचित जाति श्रेणी) 1, सईदिया स्कूल, के पास इतवारा रोड, भोपाल, म0प्र0 की अनुकम्पा नियुक्ति (तृतीय श्रेणी में) सहायक –ग्रेड–3 के पद पर सातवें वेतनमान अनुसार मैट्रिक लेवल–4 में रू. 19500/– न्यूनतम मूल वेतन तथा शासन द्वारा तत्समय देय मंहगाई भत्ते पर, 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल में अस्थाई रूप से उपस्थित होने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन की जाती है।

म.प्र. शासन, वित्त विभाग की राजपत्र में प्रकाशित संशोधन क्रं0–एफ–8–1–2020, नियम 4 दिनांक 22.02.2020 अनुसार 3 वर्ष (तीन वर्ष) की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त श्री आकाश दीप नरवारे को उक्त पद के सातवें वेतनमान अनुसार वित्त विभाग की मैट्रिक्स के लेवल–1 में रू. 19500/– के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के साथ शासन द्वारा अन्य भत्ते देय होगें। 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार वेतनमान में वेतन दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति की शर्तें :–

1. यह अनुकम्पा नियुक्ति नितांत अस्थाई है। उक्त नियुक्ति किसी भी समय किसी उभय पक्ष द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस अथवा उसके ऐवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
2. संबंधित को कर्तव्य पर उपस्थित कराये जाने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
3. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने के उपरांत, इनके विपरीत कोई टीप अंकित होने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।
4. संबंधित को अंशदायी पेंशन योजना–2005 लागू होगी ।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाणपत्र/अन्य–प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्रों के आधार पर आपको नियुक्ति दी जा रही है। भविष्य में प्रस्तुत प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र सत्यापन के समय या अन्यथा फर्जी/त्रुटिपूर्ण पाये जाते है, तो आपकी नियुक्ति निरस्त करते हुए आपके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
6. संबंधित कर्मचारी शासन के प्रति पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा।
7. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें ।

निरन्तर

Scanned with CamScanner

8. आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।

9. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

10. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन के ज्ञापन कमांक सी 3–42/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के अनुसार कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा म.प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक– सी–3–15/2014/1/3 दिनांक 26.02.2015 के निर्देशानुसार कम्प्यूटर टाईपिंग दक्षता हेतु सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड धारित करना भी अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासन निर्देशानुसार डिप्लोमा/पत्र एवं स्कोर कार्ड 03 वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । तत्पश्चात परिवीक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी, अन्यथा निर्धारित समयावधि में वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर आपकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। इस बावत् आपका कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

11. प्रमाणित किया जाता है कि आदेश में राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नियम का पालन किया गया है।

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित

(अभिषेक दुबे)
संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

पृ.कमांक– एक/स्था.–1/अनु.नि./02/2020/5105 भोपाल, दिनांक 16/11/2020

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. श्री आकाश दीप नरवारे पुत्र श्री दिलीप नरवारे,, निवासी–सईदिया स्कूल, के पास इतवारा रोड भोपाल, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी आई.टी. शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
7. लेख शाखा/स्थापना शाखा–1/स्थापना शाखा–2(व्यक्तिगत नस्ती हेतु)/गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश

Scanned with CamScanner